केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली –110 001
फोन: 23353503, फैक्स: 23753923

याचिका सं.229/टीएल/2023 **दिनांक: 27.9.2023**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड, विंडसर, प्रथम तल, यूनिट नं.101, कलिना, सांताक्रूज ईस्ट–400 098, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) मोड (इसके पश्चात् 'पारेषण योजना' के रूप में संदर्भित) पर "1x315 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (तृतीय) से अमरगढ़ (जीआईएस) सबस्टेशन पर रूपांतरण क्षमता का संवर्धन" के कार्यान्वयन के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15, 79(1)(ङ) के अधीन आवेदन किया गया है। जिस परियोजना के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति मांगी गई है, उसका कार्य–क्षेत्र निम्नानुसार है:

क्रम सं.	पारेषण योजना का कार्य–क्षेत्र	क्षमता/किमी	कार्यान्वयन समय सीमा
1.	संबद्ध ट्रांसफॉर्मर बे* के साथ 1x315 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (तृतीय) (105 एमवीए के तीन सिंगल फेस यूनिट) से अमरगढ़ (जीआईएस) सबस्टेशन पर रूपांतरण क्षमता का संवर्धन *जीआईबी के साथ (220 केवी एवं 245 1–पीएच इंडोर और आउटडोर जीआईबी)	• 315 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी–1 नंबर (105 एमवीए के तीन नंबर सिंगल फेस यूनिट) • 400 केवी आईसीटी बे (जीआईएस) – 1 नंबर + डायमीटर को पूरा करने के लिए 1 नंबर अतिरिक्त बे (नोट 2 का संदर्भ लें) • 220 केवी आईसीटी बे (जीआईएस) – 1 नंबर	सीटीयूआईएल द्वारा ओएम के जारी किए जाने से 21 मास
		कुल अनुमानित लागत:	**रु. 82.04 करोड़**

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 21.4.2023 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान करने के साथ आरटीएम मोड पर पारेषण योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया था।
3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 8.8.2023 के अपने पत्र द्वारा उपर्युक्त पैरा–1 में यथा उल्लिखित आरटीएम रूट के माध्यम से पारेषण के निष्पादन हेतु एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड को पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए संस्तुत किया है।
4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 229/टीएल/2023 में दिनांक 23.9.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
5. एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.indigrid.co.in पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **12.10.2023** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आयोग द्वारा दिनांक **18.10.2023** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव